भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2311

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पशुधन गणना 2014

2311. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पशुधन गणना 2024 का ब्यौरा क्या है जिसका उद्देश्य ट्रांसह्यूमन पशुधन और पशुपालक समुदायों के संबंध में आंकड़े प्राप्त करना है;

(ख)पशुपालक गणना में विभिन्न राज्यों में, विशेषकर दूरस्थ और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक रूप से विविध पशुपालक समुदायों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पशुपालकों को नीतिगत ढांचे में एकीकृत करने के लिए किए गए उपायों और इस गणना से प्राप्त आंकड़ों से चरागाहों की भूमि, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु उत्पादों के लिए बाजार पहुंच जैसी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस गणना से ट्रांसह्यूमन पशुधन संख्या के भीतर पशुधन प्रबंधन और बीमारी की रोकथाम के लिए अपेक्षित लाभ क्या हैं, विशेष रूप से इसलिए कि ये पशु विविध जलवायु क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुधन संगणना एक पंचवर्षीय कार्यकलाप है जो वर्ष 1919 से आयोजित किया जा रहा है। पिछली पशुधन संगणना वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी जो 20वीं पशुधन संगणना थी। 21वीं पशुधन संगणना वर्ष 2024 में होनी है और इस संगणना का डेटा संग्रह कार्य 25 अक्टूबर, 2024 से शुरू हो चुका है। परिभाषा के अनुसार संगणना का मतलब चरवाहों सहित प्रत्येक संगणना इकाई से जानकारी एकत्र करना है। तदनुसार, 21वीं पशुधन संगणना में चरवाहा समुदायों सहित पशुधन का डेटा भी एकत्र किया गया है।

(ख) जी हाँ, प्रत्येक राजस्व इकाई यानी गांवों और शहरी वार्डों को कवर करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अद्यतन स्थानीय सरकारी निर्देशिका का उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए एक फ्रेम के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, गणनाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे संगणना इकाइयों में डेटा एकत्र करते समय राज्य राजस्व विभाग के पास उपलब्ध गांवों और वार्डों के मानचित्रों का उपयोग करें। चरवाहा समुदायों के साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सोसयटी के सदस्यों और

स्वयंसेवकों को भी चरवाहे वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनका पता लगाने में गणनाकर्ताओं की मदद करने के लिए शामिल किया जाता है ताकि दूरदराज के स्थानों से जानकारी न छूट जाए।

(ग) और (घ) जी हां, पशुपालन और डेयरी विभाग पशुधन, विशेष रूप से चरवाहा समुदायों द्वारा प्रबंधित पशुधन, जो "जीन के संरक्षक" के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, के कल्याण के लिए पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचएंडडीसीपी) तथा पशुधन बीमा जैसी योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। चरवाहे जैव विविधता और जलवायु के लचीलेपन के लिए आवश्यक देशी पशुधन नस्लों का संरक्षण करते हैं, जबकि उनका पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान आजीविका, पारिस्थितिकी तंत्र और अनुकूली प्रबंधन को बनाए रखता है, जैसाकि जैव सांस्कृतिक सामुदायिक प्रोटोकॉल द्वारा स्वीकार किया गया है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती खाद्य मांग जैसी चुनौतियों से उनकी उत्पादकता और संसाधनों को खतरा है। आंकड़े गमन पथ की पहचान करने में सहायक होंगे जिससे टीकाकरण का समय सुनिश्चित करने और रोगग्रस्त पशुयूथों की आवाजाही को रोकने हेतु वास्तविक निगरानी चौकी बनाने में मदद मिलेगी। 21वीं पशुधन संगणना से प्राप्त विस्तृत डेटा विभाग को इन चुनौतियों का आकलन करने और उनका समाधान करने, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत या नया स्वरूप देने और चिन्हित क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त जर्मप्लाज़्म सुनिश्चित करके विशिष्ट नस्ल क्षेत्रों में लक्षित सहायता प्रदान करने हेतु नई रणनीति विकसित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे इन समुदायों के लिए टिकाऊ पशुधन प्रबंधन और लचीलापन सुनिश्चित होगा।

****